न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

225RTA2022-271(GCMS2022-431)

सईद खां पुत्र मुबारक खां जाति मुसलमान
निवासी ग्राम चैनपुरा पलीना, तहसील लोहावट
जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार लोहावट
2. अता मोहम्मद पुत्र सुलेमान खां जाति मुसलमान
   निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावट दिनांक 26 अगस्त 2022 प्रकरण संख्या 48/2022 अनवान सईद खां बनाम राजस्थान सरकार

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 2

नि र्ण य

दिनांक : 28 नवम्बर 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावट द्वारा प्रकरण संख्या 48/2022 अनवान सईद खां बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 26 अगस्त 2022 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 04 अक्तूबर 2022 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट-प्रार्थी ने ग्राम रहीमपुरा (मूल ग्राम चैनपुरा) स्थित आराजी खसरा संख्या 490 कुल रकबा 850 बीघा 03 बिस्वा में से 6 बीघा भूमि अपने कब्जे काश्त एवं नियमनसुदा होना जाहिर करते हुए उक्त आराजी बाबत प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया, जो दिनांक 11 मार्च 2022 को विचारण न्यायालय द्वारा संस्थित किया जाकर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी। मामले में दिनांक 26 अगस्त 2022 को अप्रार्थी-रेस्पो. राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार लोहावट ने विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र का जबाब पेश किया और अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजी पर बतौर अतिकमी कब्जा होने से उसके खिलाफ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही नियमानुसार होना जाहिर कर पूर्व में पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 11 मार्च 2022 खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी-अपीलाण्ट की ओर से मामले में अंतिम बहस हेतु समय चाहा गया, तदनुसार विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में वास्ते बहस आयन्दा दिनांक 02 सितम्बर 2022 मुकर्रर की गयी और पूर्व में दिनांक 11 मार्च 2022 को जारी एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा रद्द (vacat) कर दी गयी। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वक्त बंदोबस्त के पूर्व से अपीलाण्ट के पिता मुबारक एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उसके बाद अपीलाण्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है, उनके द्वारा समय-समय पर वादग्रस्त भूमि की बीगोडी भी नियमानुसार जमा करायी गयी। इसी खसरा में अन्य कब्जाधारी अता मोहम्मद पुत्र साले मोहम्मद के पक्ष में नियमन सलाहकार समिति फलोदी द्वारा 8 बीघा भूमि का नियमन भी किया गया था जिसके अनुसरण में म्युटेशन संख्या 221 ग्राम चैनपुरा स्वीकृत हुआ। अपीलाण्ट का प्रकरण उससे भिन्न नहीं है। वादग्रस्त आराजी के पास खसरा संख्या 835 की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी की स्थित है। मौके पर भूमि काबिल काश्त होते हुए भी खसरा संख्या 890 सम्पूर्ण रकबे की किस्त गैरमुमकिन मगरा गलत अंकित कर दी गयी, जबकि उक्त खसरा की अपीलाण्ट के कब्जे काश्त वाली भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी में दर्ज की जानी चाहिये थी। अपने अधिकारों के लिए अपीलाण्ट द्वारा विचारण न्यायालय में दावा पेश किया गया और मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी बाबत अस्थायी निषेघाज्ञा जारी किये जाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थनापत्र पेश किया, जो दिनांक 11 मार्च 2022 को संस्थित किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेघाज्ञा जारी की गयी। मगर पत्रावली अप्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक की तलबी एवं जबाब हेतु विचाराधीन रहने के दौरान दिनांक 26 अगस्त 2022 की आदेशिका अनुसार आइन्दा पेशी 02 सितम्बर 2022 मुकर्रर की गयी थी, किन्तु उसी आदेशिका में आगे पुनश्चः कर तहसीलदार लोहावट का जबाब पेश होना दर्शाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है क्योंकि अपीलाधीन आदेश विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकियाओं, रेवेन्यु कोर्ट मेन्युअल एवं सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए पारित किया गया है। तहसीलदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

लोहावट द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत जबाब की प्रति अधिवक्ता-प्रार्थी को उपलब्ध कराये बिना एवं विधिवत सुनवाई किये बिना ही विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 11 मार्च 2022 के खिलाफ अदालत हाजा में प्रस्तुत अन्य अपील अता मोहम्मद बनाम सईद खॉ में दिनांक 24 जून 2022 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए अदालत हाजा द्वारा सईद खां को अता मोहम्मद के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया था, अर्थात उक्त अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 11 मार्च 2022 बाबत किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। अदालत हाजा के उक्त अंतरिम आदेश के बाद आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट साधिकार काबिज नहीं होकर मात्र अतिकमी की हैसियत से काबिज है, जिसके खिलाफ नियमानुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही विधिसम्मतः मानते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया और पूर्व में पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 11 मार्च 2022 अपास्त की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि रेस्पो. वादग्रस्त आराजियात के सहखातेदार है और उन्हें यदि वादग्रस्त आराजियात से बेदखल कर दिया जाता है तो निश्चय ही रेस्पो. को गम्भीर असुविधा एव अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः मूल वाद के निस्तारण तक संयुक्त खातेदारी की वादग्रस्त आराजियात बाबत पक्षकारान के हितों को संरक्षित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावें।

अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो ने जाहिर किया कि रेस्पो. संख्या दो अता मोहम्मद को खसरा संख्या 890 में से 8 बीघा भूमि आवण्टित की गयी थी, जिसके खसरा संख्या 890/1 दर्ज किये गये, जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा संख्या 908/891 रकबा 1.0521 हैक्टेयर रेस्पो. संख्या दो की खातेदारी की दर्ज है। अपीलाण्ट को खसरा संख्या 890 की अन्य एक बीघा भूमि पर अतिकमी मानते हुए संबंधित तहसीलदार द्वारा अपीलाण्ट के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया गया, जिस आदेश के खिलाफ अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा खारिज की जा चुकी है और द्वितीय अपील न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है। अपीलाण्ट को उक्त भूमि पर साधिकार एवं पुराना कब्जा नहीं है, मात्र स्थगन आदेश के आधार पर अपीलाण्ट अपना कब्जा बनाये रखना चाहता है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपना वक्त सेटलमेण्ट के पूर्व से निरन्तर कब्जा काश्त चले

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आना, मौके पर भूमि काबिल काश्त होना एवं इसी खसरा में से अन्य व्यक्तियों के पक्ष में नियमन की कार्यवाही होना जाहिर किया गया है। यद्यपि इन तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी बाबत अपीलाण्ट के स्वत्व एवं अधिकारों बाबत मूल वाद की कार्यवाही में विधिवत विवाधकों की संरचना की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद समुचित विवेचन एवं विश्लेषण कर विनिश्चयन किया जाना है। वर्तमान में विचारण न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 212 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र विचाराधीन है, और अस्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में वादग्रस्त भूमि बाबत कब्जे की स्थिति, प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं बाबत विवेचन करते हुए मूल प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है। मामले में विचारण न्यायालय द्वारा अपने स्वविवेकीय अधिकारों का उपयोग करते हुए पूर्व में दिनांक 11 मार्च 2022 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी, जो विचारण न्यायालय में अप्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार लोहावट द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2022 को प्रस्तुत किये गये जबाब-स्थगन प्रार्थनापत्र की प्रति अधिवक्ता-प्रार्थी (अपीलाण्ट) को दिये बिना एवं विधिवत सुनवाई किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए रद्द (vacat) कर दी गयी है। जो निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप प्रतीत नहीं होती है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26 अगस्त 2024 अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विधिवत पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर मूल स्थगन प्रार्थनापत्र का शीघ्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निस्तारण किया जावे। तब तक उभयपक्षकारान वादग्रस्त भूमि (ग्राम रहीमपुरा (मूल ग्राम चैनपुरा) स्थित आराजी खसरा संख्या 490 कुल रकबा 450 बीघा 03 बिस्वा में से 6 बीघा भूमि) बाबत मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावे। साथ ही राजस्व रिकार्ड में रेस्पो. संख्या दो की खातेदारी में दर्ज आराजी खसरा संख्या 908/891 रकबा 1.0521 हैक्टेयर में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने हेतु अपीलाण्ट को पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर